

# 2


## जी.एस.टी. के अधीन पूर्ति [SUPPLY UNDER GST]

### सीखने का परिणाम (Learning Outcomes)

इस अध्याय के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे :

- ❑ GST के अधीन कर योग्य घटना का विश्लेषण-पूर्ति-इसका अर्थ एक क्षेत्र।
- ❑ बिना प्रतिफल वाले लेन-देन जिन्हें पूर्ति समझा जाता है, का अभिज्ञान।
- ❑ ऐसे लेन-देन जिन्हें माल की पूर्ति और ऐसे लेन-देन जिन्हें सेवाओं की पूर्ति माना जाएगा।
- ❑ ऐसे लेन-देन चिह्नित करना जिन्हें न तो माल की पूर्ति और न ही सेवाओं की पूर्ति समझा जायेगा।
- ❑ संयुक्त एवं मिश्रित पूर्तियों की विवेचना

## अध्याय अवलोकन



### 1. परिचय (Introduction)

एक करयोग्य घटना कोई लेनदेन या घटना होती है जो कर परिणाम में परिणामित होती है। किसी भी करारोपण से पूर्व, करयोग्य घटना को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है। किसी भी कर प्रणाली के लिए कर भार नींव का पत्थर है यह उस तथ्य का निर्धारण करता है जिस पर करारोपण किया जायेगा। पूर्ववर्ती करारोपण व्यवस्था में विभिन्न विधानों के अधीन 'कर योग्य घटना' विभिन्न व्याख्याओं को आमंत्रित करती है, परिणामस्वरूप दशकों तक कानूनी विवादों में फंसी रही।



अधिकांशतः विवाद ऐसे विषयों पर रहा है कि कोई विशेष गतिविधि निर्माण है या नहीं है, क्या विक्रय, पूर्व निर्धारित विक्रय या, कोई विशेष लेनदेन-माल का विक्रय है या सेवाओं की प्रस्तुति है आदि GST विधानों में इन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक विस्तृत कर देय घटना 'पूर्ति' निर्धारित की गयी है, यह पूर्ति माल या सेवा या दोनों की हो सकती है। विभिन्न कर योग्य घटनाएँ जैसे कि निर्माण, विक्रय, सेवाओं का प्रतिपादन क्रय किसी राज्य के क्षेत्र में प्रवेश इत्यादि सिर्फ एक घटना पूर्ति के साथ ही दूर कर दी गई है।



GST विधान के अधीन माल/सेवाओं की 'पूर्ति' पर करारोपण, उस पूर्ववर्ती कर व्यवस्था से भिन्न है जिसमें ऐतिहासिक रूप से 'कर योग्य घटना' को राज्य वैट विधानों, उत्पाद शुल्क विधानों और सेवाकर विधानों के अधीन विक्रय, निर्माण और सेवाएं समझा जाता रहा है।

GST व्यवस्था में, माल/सेवाओं का सम्पूर्ण मूल्य समग्र, रूप में करारोपित होता है, जो पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष करों से इस रूप में पृथक् है पहले करारोपण निर्माण' या माल विक्रय या सेवा प्रदान पर स्वतंत्र रूप से पृथक्-प्रभारित होता था।

## 2. प्रासंगिक परिभाषाएँ (Relevant Definitions)



- **माल (Goods) :** माल का आशय प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति से है जिसमें प्रतिभूतियाँ और मुद्रा शामिल नहीं हैं, परन्तु इसमें शामिल हैं—वादयोग्य दावे, उगती फसलें, घास और भूमि से जुड़े हुए अथवा उसके भाग रूपी वस्तुएं, जिन्हें पूर्ति या पूर्ति के अनुबन्ध के अधीन भूमि से पृथक् करना सहमत है। धारा 2 (52) CGST ACT
- **प्रधान (Principal) :** का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसकी ओर से अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति या पूर्ति का व्यवसाय करता है [CGST अधिनियम की धारा 2(88)]
- **सक्षम प्राधिकरण (Competent authority) :** का आशय ऐसे प्राधिकरण से है, जो सरकार द्वारा अधिसूचित है [CGST अधिनियम की धारा 2(29)]
- **परिवार (Family) :** का आशय है—
  - (i) व्यक्ति का जीवनसाथी एवं बच्चे एवं
  - (ii) व्यक्ति के माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, भाई एवं बहन यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से कथित व्यक्ति पर निर्भर हैं [CGST अधिनियम की धारा 2(49)]
- **व्यवसाय (Business) :** में शामिल हैं—
 

|  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) कोई व्यापार वाणिज्य, निर्माण, पेशा, वृत्ति, साहस या इसी प्रकार की अन्य गतिविधि, चाहे आर्थिक लाभ के लिये हो या नहीं हो।</li> <li>(b) उपर्युक्त (a) से सम्बन्धित या आकस्मिक या सहायक कोई गतिविधि, या लेन-देन।</li> <li>(c) उपर्युक्त (a) की प्रकृति की कोई गतिविधि या लेन-देन चाहे ऐसे लेनदेन की मात्रा, बारम्बारता, निरन्तरता या नियमितता हो या नहीं हो।</li> <li>(d) व्यवसाय के प्रारम्भ या समापन के सम्बन्ध में, पूँजीगत सम्पत्तियों और सेवाओं सहित माल की पूर्ति या अभिग्रहण।</li> <li>(e) किसी क्लब, एसोशियेशन, सोसाइटी या ऐसी अन्य संस्था द्वारा (किसी चन्दा या अन्य कोई प्रतिफल के बदले) अपने सदस्यों को किसी सुविधाओं या लाभों को प्रदान करना।</li> <li>(f) किसी प्रतिफल के बदले व्यक्तियों का किसी भवन में प्रवेश, और</li> </ol> |
|--|

- |     |   |
|-----|---|
| (g) | अपने व्यापार, पेशा या वृत्तियों के अभ्युदय या उसके दौरान, उसके द्वारा स्वीकृत किसी पदधारक होने के कारण, उस व्यक्ति द्वारा सेवाओं की पूर्ति।           |
| (h) | किसी रेस क्लब द्वारा उस क्लब में पुस्तक निर्माता के लिये अनुज्ञप्ति धारक के रूप में सेवाओं की प्रस्तुति।  |
| (i) | केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा किया गया कोई लेन-देन या गतिविधि, जिसमें वे सार्वजनिक प्राधिकरणों के रूप में से लिप्त हों। |

धारा 2 (17) CGST ACT

- **सरकार (Government)** : का आशय केन्द्रीय सरकार से है [CGST अधिनियम की धारा 2(53)]
- **स्थानीय प्राधिकरण (Local authority)** : का आशय है—
  - (a) संविधान की धारा 243 के वाक्य (d) में परिभाषित एक 'पंचायत'।
  - (b) संविधान की धारा 243 P के वाक्य (e) में परिभाषित नगरपालिका।
  - (c) नगर निगम या स्थानीय परिषद् के प्रबन्धन या नियंत्रण सहित केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कानूनी सपुर्द रूप से या अधिकृत नगर निगम समिति, जिला परिषद्, जिला मंडल एवं कोई अन्य प्राधिकरण
  - (d) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 3 में परिभाषित छावनी मंडल।
  - (e) संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत निर्मित एक क्षेत्रीय परिषद् या जिला परिषद्।
  - (f) संविधान की धारा 371 J के अंतर्गत निर्मित एक विकास परिषद्
  - (g) संविधान की धारा 371 A के अंतर्गत निर्मित एक क्षेत्रीय परिषद् [CGST अधिनियम की धारा 2(69)]।
- **प्रतिफल (Consideration)** : माल/सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में, शामिल हैं—
  - ✍ माल/सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में, या उसके प्रत्युत्तर में या उसके उत्तेजन में, मुद्रा या अन्य किसी रूप में प्रदत्त या प्रदाननीय कोई भुगतान, चाहे प्रापक द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो परन्तु इसमें केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता शामिल नहीं है।
  - ✍ किसी माल/सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में किया गया कोई कार्य या विरति जो प्रापक या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की गयी हो, उसका मौद्रिक मूल्य, परन्तु इसमें केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कोई आर्थिक सहायता शामिल नहीं है।

तथापि, माल/सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रदत्त कोई जमा राशि, ऐसी पूर्ति के प्रति भुगतान नहीं माना जायेगा, बशर्ते कि पूर्तिकर्ता ऐसी जमाराशि को उपर्युक्त पूर्ति के लिये प्रतिफल के रूप में समायोजित नहीं करता है। [धारा 2 (31) CGST ACT ]


- **कार्यवाही योग्य दावे (Actionable claim) :** का आशय, किसी अचल सम्पत्ति पर बन्धक द्वारा अथवा चल सम्पत्ति पर दृष्टि बन्धक या गिरवी द्वारा अथवा किसी चल सम्पत्ति में जो अधिकार में न हो में लाभकारी हित द्वारा सुरक्षित, को छोड़कर किसी ऋण दावाकर्ता का वास्तविक या रचनात्मक दावा, जिसे जन न्यायालय द्वारा राहत के लिये मान्य किया गया है, चाहे ऐसा ऋण या लाभकारी हित विद्यमान, उपार्जनीय, सशर्त या आकस्मिक हो, [धारा 2 (1) CGST ACT। सम्पत्ति का अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 सहित पढ़ने पर]
- **निर्माण (Manufacture) :** का आशय कच्चा माल या इनपुट्स का किसी भी रीति से ऐसा प्रक्रियाकरण, जिसका परिणाम एक ऐसे नये उत्पाद के प्रारुभाव में हो, जिसका एक विशिष्ट नाम, प्रकृति एवं प्रयोग हो, और शब्द निर्माता का अर्थ उसी रूप में लिया जायेगा। [धारा 2 (72)CGST ACT ]
- **मुद्रा (Money) :** का आशय किसी भारतीय विधि ग्राह्य मुद्रा या विदेशी मुद्रा, चेक, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, साखपत्र, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, यात्री चेक, धनादेश, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक विधि से धन प्रेषण या अन्य कोई विपत्र प्रतिफल के रूप में प्रस्तुत किये जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दायित्व के निपटारे या भारतीय विधिग्राह्य मुद्रा से विनिमय के लिये मान्य किया जाता है, परन्तु इसमें शामिल नहीं है ऐसी कोई मुद्रा जिसको केवल संग्रहण/पुरातत्व के उद्देश्य से रखा गया है। [ धारा 2 (75) C GST ACT ]
- **कर योग्य पूर्ति (Taxable supply) :** का आशय माल/सेवाओं की ऐसी पूर्ति से है जो इस अधिनियम के अधीन कर योग्य हैं [धारा 2 (108) C GST ACT]
- **कर योग्य क्षेत्र (Taxable territory) :** का आशय ऐसे क्षेत्र से है जिसमें इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। [धारा 2 (108) CGST ACT]
- **सेवाएं (Services) :** का आशय माल, मुद्रा और प्रतिभूतियों के अतिरिक्त किसी भी वस्तु से है, परन्तु मुद्रा के एक रूप से दूसरे में रोकड़ या अन्य किसी माध्यम से परिवर्तन चाहे अन्य किसी मुद्रा या डिनोमिनेशन में किसी पृथक प्रतिफल के बदले किया गया हो अथवा मुद्रा के प्रयोग की गतिविधियों को भी शामिल करके।

**स्पष्टीकरण—संदेह को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि अभिव्यक्ति “सेवाओं” में प्रतिभूतियों में लेन-देन की सुविधा या व्यवस्था शामिल है। [CGST अधिनियम की धारा 2(102)]।**

- **पूर्तिकर्ता (Supplier) :** माल/ सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में, इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो उपर्युक्त माल/सेवाओं की पूर्ति कर रहा है और इसमें शामिल होगा ऐसा अभिकर्ता जो माल/सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में ऐसे पूर्तिकर्ता की ओर से ऐसा कार्य कर रहा है। [धारा 2 (105) CGST ACT]
- **प्रापक (Recipient) :** माल/सेवाओं के प्रापक का आशय है—
  - (a) यदि माल/सेवाओं की पूर्ति के लिये प्रतिफल देय होता है, तो उस प्रतिफल के भुगतान का उत्तरदायी व्यक्ति,

- (b) यदि माल की पूर्ति के लिये कोई प्रतिफल देय नहीं हो, ऐसा व्यक्ति जिसको माल की सुपुर्दगी की गयी है या उपलब्ध कराया गया है या जिसको अधिकार या माल या का प्रयोग प्रदत्त या उपलब्ध कराया गया है, और
- (c) यदि सेवाओं की पूर्ति के लिये कोई प्रतिफल देय नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसको सेवाएँ प्रस्तुत की गयी हैं, और ऐसा व्यक्ति जिसका सन्दर्भ पूर्ति किये जाने में किया गया है उसका आशय पूर्ति के प्राप्तकर्ता से लिया जायेगा और इसमें शामिल है ऐसा अभिकर्ता जो माल/सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रापक की ओर से ऐसा कर रहा था। [धारा 2 (93) CGST ACT]

➤ व्यक्ति में शामिल हैं : [धारा 2 (84) CGST ACT]



इस अध्याय के सम्बन्ध में हमारा विवेचन मुख्य रूप से CGST और IGST तक सीमित रहा है, क्योंकि राज्य विशिष्ट GST<sup>1</sup> पाठ्यक्रम के क्षेत्र से बाहर है।

### 3. पूर्ति की अवधारणा [CGST Act की धारा 7] [Concept of Supply (Section 7 of CGST Act)]

GST वास्तुशिल्प का 'पूर्ति' की अवधारणा नींव का पत्थर है। पूर्ति के अर्थ एवं क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रावधान CGST ACT के अध्याय III में दिये गये हैं, जिन्हें अधिनियम में दी गयी विभिन्न

<sup>1</sup> It may be noted that GST laws of all the States and Union Territories are largely based on the CGST Act, 2017.

अनुसूचियों के साथ पढ़ा जायेगा। अतः इस अध्याय में पूर्ति की अवधारणा को समझने है निम्न धाराओं एवं अनुसूचियों की विवेचना की जाएगी :

|             |  |
|-------------|--|
| धारा 7      | पूर्ति का अर्थ और क्षेत्र  |
| धारा 8      | संयुक्त और मिश्रित पूर्तियों की कर देयता   |
| अनुसूची I   | बिना प्रतिफल के भी पूर्ति माने जाने वाले विषय  |
| अनुसूची II  | माल की पूर्ति या सेवा की पूर्ति माने जाने वाले विषय                                  |
| अनुसूची III | ऐसे लेन-देन या विषय जिन्हें न तो माल की पूर्ति और न ही सेवाओं की पूर्ति समझा जायेगा। |



**वैधानिक प्रावधान**

| धारा 7 | पूर्ति का अर्थ एवं क्षेत्र  |  |
|--------|---|--|
| उपधारा | वाक्य   | विवरण  |
| 1.     | पूर्ति में शामिल हैं :  | <p>(a) माल/सेवाओं की पूर्ति के सभी रूप जैसे कि-विक्रय, अन्तरण, विनिमय वस्तु विनिमय, अनुज्ञापन, किरायेदारी, पट्टा या निस्तारण, जो किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान अथवा उसके अभ्युदय के लिये प्रतिफल के बदले किया गया है या किया जाना सहमत है।</p> <p>(b) सेवाओं का आयात, चाहे व्यवसाय के दौरान अथवा उसके अभ्युदय के लिए हो या नहीं हो, प्रतिफल के लिए किया हो।</p> <p>(c) अनुसूची I में निर्दिष्ट गतिविधियाँ जिन्हें बिना प्रतिफल के किया गया है अथवा किया जाना सहमत है।</p> |
| 1(A)   | <i>जहाँ कुछ विशिष्ट गतिविधियाँ या लेन-देन, उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार पूर्ति होते हैं, तो उन्हें अनुसूची II में संदर्भित माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा।</i> |  |
| 2.     | उपधारा (1) में उल्लिखित किसी तथ्य से तत्प्रभावित नहीं होते हुए,   | <p>(a) अनुसूची III में उल्लिखित लेन-देन और गतिविधियाँ, या</p> <p>(b) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय सत्ता द्वारा किये गये लेन-देन या गतिविधियाँ, जिनमें वे सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में संलिप्त हैं, जो जी.एस.टी. परिषद की संस्तुति पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।</p> <p>उनको न तो माल की पूर्ति और न ही सेवाओं की पूर्ति समझा जायेगा।</p>   |
| 3.     | उपधारा (1), 1(A) और (2) के अधीन, सरकार परिषद की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे लेन-देनों को निर्दिष्ट कर सकती है जिन्हें समझा जायेगा।   |  |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | (a) माल की पूर्ति न कि सेवाओं की पूर्ति, अथवा<br>(b) सेवाओं की पूर्ति न कि माल की पूर्ति  |
| <b>अनुसूची-1</b>   | <b>पूर्ति मानी जाने वाली गतिविधियाँ भले ही प्रतिफल रहित की गई हों</b>   |
| <b>क्रम संख्या</b> | <b>विवरण</b>  |
| 1.                 | व्यावसायिक सम्पत्तियों का स्थायी अंतरण या निस्तारण, जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसी सम्पत्तियों पर प्राप्त कर लिया गया हो।   |
| 2.                 | धारा 25 में निर्दिष्टानुसार सम्बन्धित व्यक्तियों या भिन्न व्यक्तियों के मध्य माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति, जब यह व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में की गई हों। बशर्ते कि एक वित्तीय वर्ष में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कीमत में ₹ 50 हजार से न अधिक के उपहार, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति नहीं माने जाएंगे। |
| 3.                 | माल की पूर्ति –<br>(a) प्रधान द्वारा अपने अभिकर्ता को, जहाँ अभिकर्ता प्रधान की ओर से ऐसे माल की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व लेता है<br>(b) अभिकर्ता द्वारा अपने प्रधान को जहाँ अभिकर्ता प्रधान की ओर से ऐसे माल की प्राप्ति का उत्तरदायित्व लेता है।  |
| 4.                 | व्यवसाय के दौरान या उसके अभ्युदय में एक करयोग्य व्यक्ति द्वारा एक सम्बन्धित व्यक्ति से या भारत से बाहर स्थित उसकी अन्य स्थापनाओं से सेवाओं का आयात।   |




### विश्लेषण (Analysis)


- CGST अधिनियम की धारा 7 में निहित पूर्ति की परिभाषा एक सम्मिलित परिभाषा है तथा शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित नहीं करती। यह पूर्ति के क्षेत्र को शामिलता रीति से परिभाषित करती है। (a) में वर्णित पूर्ति की रीति केवल उदाहरणों के रूप में है और सूची अनंत है। इसको 'जैसे कि' शब्दों के प्रयोग से परिभाषा में आधार दिया गया है।

CGST ACT के अधीन पूर्ति के क्षेत्र के प्रावधानों को IGST ACT की धारा 20 के द्वारा IGST ACT के लिए भी लागू किया गया है।

- GST के अधीन कर योग्य पूर्ति का क्षेत्र और अर्थ निम्नांकित मानदण्डों के सन्दर्भ में समझा जा सकता है :
  1. पूर्ति माल या सेवाओं की होनी चाहिए। माल या सेवाओं के अतिरिक्त अन्य किसी चीज की पूर्ति जैसे—मुद्रा, प्रतिभूतियाँ आदि, पर GST लागू नहीं होता है।



2. पूर्ति प्रतिफल के लिये होनी चाहिए।
3. पूर्ति, व्यवसाय के दौरान या उसके अभ्युदय के लिये होनी चाहिए।




उपर्युक्त मानदण्ड कर योग्य पूर्ति की अवधारणा का वर्णन करते हैं। तथापि, GST अधिनियम में द्वितीय और तृतीय मानदण्डों के कुछ अपवाद हैं। (पूर्ति प्रतिफल के बदले अपेक्षित हो और व्यवसाय के दौरान या उसके अभ्युदय में पूर्ति की गयी हो)। कुछ अपवाद वहाँ हैं जहाँ कोई लेन-देन बिना प्रतिफल के भी पूर्ति माना जाता है [CGST अधिनियम की अनुसूची 1 में निहित इस अध्याय में बाद में चर्चा होगी।] इसी प्रकार, व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में की गई पूर्ति की शर्त सेवाओं के आयात की स्थिति में विमुक्त कर दी गई है। [प्रतिफल के लिये सेवाओं का आयात, चाहे व्यवसाय के दौरान अथवा उसके अभ्युदय में किया गया हो अथवा नहीं पूर्ति मानी जायेगी।]

- इसके साथ, ऐसे भी मामले हैं जहाँ लेन-देन को पूर्ति के क्षेत्र से बाहर रखा गया है, यद्यपि उपर्युक्त मानदण्डों की विद्यमानता है, अर्थात् ऐसी गतिविधियों की सूची जिन्हें न तो

माल की पूर्ति और न ही सेवाओं की पूर्ति समझा जाता है। अन्य शब्दों में, ये GST के क्षेत्र से बाहर हैं।

- GST अधिनियम ने कुछ गतिविधियों/लेन-देनों को या तो माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति के रूप में वर्गीकृत किया है। सरकार को लेन-देनों को अधिसूचित करने की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिन्हें माल की पूर्ति माना जायेगा और सेवाओं की पूर्ति नहीं, अथवा सेवाओं की पूर्ति न कि माल की पूर्ति माना जायेगा।


निम्न अनुच्छेदों में, पूर्ति के उपर्युक्त पहलुओं की विस्तृत रूप में विवेचना की गयी है। यह विवेचन सरल रूप में निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :



**व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में प्रतिफल हेतु पूर्ति** [Supply for consideration in course of furtherance of business]


पूर्ति की परिभाषा का प्रारम्भिक शब्द है "पूर्ति में शामिल है" इस प्रकार इससे CGST ACT का यह अभिप्राय स्पष्ट होता है कि पूर्ति शब्द के विस्तृत अर्थ की प्रस्तुति का अभिप्राय है। पूर्ति में माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सभी रूप सम्मिलित हैं। माल या सेवाओं के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की पूर्ति GST को आकृष्ट नहीं करती। अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित माल एवं सेवाओं की परिभाषा आगामी पृष्ठ पर रेखाचित्र के माध्यम से विश्लेषित की गई हैं। माल एवं सेवाओं के अतिरिक्त पूर्ति की गई कोई भी वस्तु पूर्ति के क्षेत्र के बाहर है।





\*\* वाद योग्य दावों और मुद्रा की परिभाषा क्र.सं. 2 पर दी गई हैं—सम्बन्धित परिभाषाएं।

धारा 7 का प्रथम भाग [उपधारा (1) का वाक्य (a)] में माल/सेवाओं की पूर्ति में सभी रूपों को शामिल किया गया है जैसे—विक्रय, अन्तरण, वस्तुविनिमय, विनिमय, अनुज्ञापन, किरायेदारी, पट्टा या निस्तारण जो प्रतिफल के लिये, व्यवसाय के दौरान अथवा अभ्युदय में किया गया है अथवा किया जाना सहमत है।



अतः पूर्ति के रूपों, जैसे इस प्रथम भाग में अभिप्रेत है, उसकी दो पूर्व शर्तें हैं :

- ✓ पूर्ति प्रतिफल के लिए हो, और
- ✓ पूर्ति व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में की जानी चाहिए।

“अब हम धारा 7 की उपधारा (1) का वाक्य (9) के बारे में विस्तार से बताए गए आपूर्ति के विभिन्न रूपों पर चर्चा करेंगे।

### A. पूर्ति के रूप (Forms of Supply)

धारा 7(1)(a) में विचार किए गए पूर्ति के विभिन्न रूप बिक्री, स्थानान्तरण, वस्तु-विनिमय, लाइसेंस किराये, पट्टे या निपटन हैं। पूर्ति के ये रूप केवल उदाहरण हैं और सम्पूर्ण नहीं हैं। हालांकि इन शर्तों में से कोई भी अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। उनके अर्थ को समझने के लिए हमने उनके शब्दकोश अर्थ या अन्यथा का सहारा लिया है और उन्हें इस प्रकार समझाया है :

**I. बिक्री और हस्तान्तरण (Sale and Transfer)**—शब्द का अर्थ ‘बिक्री’ बिक्री का कार्य है; विशेष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए सम्पत्ति के स्वामित्व और शीर्षक का हस्तान्तरण एक मूल्य<sup>2</sup> के लिए है। माल की बिक्री अधिनियम, 1930 के अनुसार माल की बिक्री का अनुबंध एक अनुबंध है जिसके तहत विक्रेता मूल्य के लिए खरीदार को माल में सम्पत्ति हस्तान्तरित करने के लिए स्थानान्तरित या सहमत होता है।

इसके अलावा “ट्रांसफर” शब्द को ब्लैक लॉ में परिभाषित किया गया है कि एक स्थान, व्यक्ति, आदि से दूसरे स्थान पर पहुँचाने या निकालने के लिए पास या एक से दूसरे को सौंपना; विशेष रूप से, के कब्जे या नियंत्रण बनाने के लिए।

**II. वस्तु-विनिमय और विनिमय (Barter and Exchange)**— ‘बार्टर’ शब्द का अर्थ धन का उपयोग<sup>3</sup> करने के बजाय अन्य वस्तुओं या सेवाओं के लिए वस्तुओं या सेवाओं का आदान-प्रदान करना है। ब्लैक लॉ शब्दकोष ‘एक्सचेंज’ को दूसरे के लिए एक वस्तु देने या लेने के एक कार्य के रूप में परिभाषित करता है।

वस्तु विनिमय को ऐसा लेन-देन समझा जा सकता है जिसमें केवल माल/सेवाओं का विनिमय शामिल होता है जबकि विनिमय में ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ माल का भुगतान आंशिक रूप से माल में और आंशिक रूप से मुद्रा में किया गया हो, जहाँ माल या सेवाओं का वस्तु विनिमय होता है। एक ही गतिविधि पूर्ति और प्रतिफल दोनों के रूप में होती है।

#### विनिमय का उदाहरण



जब ₹ 5,00,000 की एक नवीन कार पुरानी कार के विनिमय के साथ-साथ ₹ 4,00,000 के मौद्रिक प्रतिफल के बदले क्रय की गयी है।

<sup>2</sup> www.merriam-webster.com

<sup>3</sup> www.macmillandictionary.com

वस्तु-विनिमय का उदाहरण निम्नांकित है :



यहाँ, डॉक्टर ने नाई को चिकित्सा परामर्श सेवाएँ प्रदान की हैं जिसके लिए नाई द्वारा प्रदान की गई बाल काटने की सेवाओं के रूप में प्रतिफल किया गया था। इसी तरह नाई ने डॉक्टर को बाल काटने की सेवाएँ प्रदान की हैं जिसके लिए चिकित्सक द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा परामर्श सेवाओं के रूप में विचार किया गया था।

**III. लाइसेंस, पट्टे, किराये और निपटान (Licence, lease, rental and disposal) :** 'लाइसेंस' शब्द का अर्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी व्यवसाय या किसी अन्य गतिविधि में संलग्न होने की अनुमति है अन्यथा गैर-कानूनी<sup>4</sup> है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी बिक्री, बंधक, दूर करना, उपयोग, उपभोग या किसी अन्य वस्तु के निपटान के रूप में निपटान को परिभाषित करता है।

'किराये' का शब्दकोश अर्थ कुछ किराए पर देने की व्यवस्था है या उस धन की राशि जो आप कुछ किराए<sup>5</sup> पर देते हैं और पट्टे को एक कानूनी अनुबंध करना है जिसके द्वारा भूमि, भवन, वाहन या उपकरण का भाग उपयोग करने के लिए पैसे का भुगतान किया जाता है सहमत अवधि के लिए<sup>6</sup>।

GST व्यवस्था में माल के ऐसे अनुज्ञापत्र, पट्टे और किरायेदारी प्रयोग के अधिकार के साथ या उसके बगैर, सेवाओं की पूर्ति समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पूर्तियों में स्वामित्व का अन्तरण नहीं है। ऐसे लेन-देनों को CGST ACT की अनुसूची II में विशेष रूप से सेवा माना गया है। (अनुसूची II अनुवर्ती अनुच्छेदों में विस्कृत रूप से चर्चित की गई है)।

जैसा कि पूर्व में विवेचना की गई है, कि GST क्षेत्र के अंतर्गत आने के लिए माल एवं/या सेवाओं की पूर्ति हेतु मानदंडों में से एक यह है कि पूर्ति प्रतिफल के लिए की गई हो। यह मानदंड निम्न अनुच्छेदों में स्पष्ट किया गया है—

### B. प्रतिफल

(Consideration)

प्रतिफल का आशय सदैव मुद्रा से नहीं होता है यह मुद्रा या किसी अन्य प्रकार में हो सकता है। इसमें प्रत्येक ऐसी सम्भावित वस्तु शामिल है, जो दी जा सकती है और बनायी जा सकती है, किसी अन्य के विनिमय के लिये। साथ ही, प्रतिफल का सदैव पूर्ति के प्राप्तकर्ता से

<sup>4</sup> www.merriam-webster.com

<sup>5</sup> www.dictionary.cambridge.org

<sup>6</sup> www.dictionary.cambridge.org

प्रवाहित होना आवश्यक नहीं हैं। यह तृतीय पक्षकार द्वारा भी दिया जा सकता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता राशि प्रतिफल नहीं मानी जाती है। माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संदर्भ में जमा की गई राशि ऐसी पूर्ति हेतु किया गया भुगतान नहीं मानी जाएगी जब तक कि विक्रेता कथित पूर्ति हेतु इस जमा राशि को प्रतिफल के रूप में प्रयुक्त न करें।


शब्द प्रतिफल को CGST ACT की धारा 2(31) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है (शीर्षक उपर्युक्त परिभाषाएँ देखें)।


कथित परिभाषा को निम्नांकित रेखाचित्र के माध्यम से सारांशित किया गया है :

प्रदर्शनी हेतु चित्रशालाओं में चित्रकारों द्वारा प्रेषित कलाकार्य पूर्ति नहीं है जबकि कोई प्रतिफल चित्रशालाओं के द्वारा चित्रकारों को नहीं दिया जाता है (Art works sent by artists to galleries for exhibition is not a supply as no consideration flows from the gallery to the artists)



चित्रकार चित्रशालाओं में अपना कलाकार्य प्रेषित करते हैं, जहाँ यह प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि, चित्रशाला द्वारा चित्रकार को कोई प्रतिफल नहीं प्रवाहित किया जाता, जब प्रदर्शनी हेतु चित्रशाला को कलाकार्य भेजा जाता है और इसलिए यह पूर्ति नहीं है। यह सिर्फ तभी है जब एक क्रेता चित्रशाला में प्रदर्शित एक विशिष्ट चित्र का चुनाव करता है, तब वास्तविक पूर्ति होती है तथा लागू GST ऐसी पूर्ति के समय देय होगा। (परिपत्र संख्या 22/22/2017 GST तिथि 21/12/2017)





\*\* CGST Act की अनुसूची I के प्रावधान की इस अध्याय में बाद में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है।

GST के क्षेत्र के अंतर्गत आने के लिए माल एवं/या सेवाओं की पूर्ति हेतु अन्य मानदण्ड यह हैं कि पूर्ति व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में की गई। यह मानदण्ड निम्न अनुच्छेदों में स्पष्ट किया गया है :

### C. व्यवसाय के दौरान या उसके अभ्युदय में (In Course or Furtherance of Business)

GST मूलतः वाणिज्यिक लेन-देनों पर कर है। अतः केवल ऐसी पूर्तियाँ जो व्यवसाय के दौरान या उसके अभ्युदय में हैं, GST के अधीन पूर्ति समझी जाती है।

परिणामतः किसी व्यक्ति द्वारा उसकी व्यक्तिगत स्थिति में की गयी पूर्तियाँ

GST के अधीन नहीं आती हैं, जब तक कि वे व्यवसाय की परिभाषा में नहीं हैं।

**व्यवसाय के दौरान या उसके अभ्युदय में की गयी पूर्ति का आशय (Meaning of supply made in the course or furtherance of business) :** व्यवसाय के दौरान या उसके अभ्युदय में




“शब्दावली को समझने के लिये हमें ” व्यवसाय को समझना आवश्यक है CGST ACT की धारा 2 (17) में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अन्य



बातों के साथ, कोई व्यापार वाणिज्य, निर्माण, पेशा, वृत्ति आदि चाहे मौद्रिक लाभ के लिये की गयी हो या नहीं, व्यवसाय कहलाता है।

इसमें ऐसी गतिविधि और लेन-देन भी शामिल हैं जो उपर्युक्त सूचीबद्ध गतिविधियों से आकस्मिक या सहायक हों। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता द्वारा की गयी कोई गतिविधि जिसमें ये सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में संलिप्त हैं, उन्हें भी व्यवसाय माना जायेगा।

व्यवसाय की परिभाषा को अग्रांकित रेखाचित्र में सारांशित किया गया है :



इस प्रकार, व्यवसाय में कोई भी गतिविधि/लेन-देन शामिल है जो किसी भी व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशे, व्यवसाय, साहसिक कार्य, दांव (शर्त) या किसी अन्य समान गतिविधि के लिए आकस्मिक या सहायक है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की गई कोई भी गतिविधि जिसमें वे सार्वजनिक प्राधिकारी के रूप में लगे हुए हैं उन्हें भी व्यवसाय के रूप में माना जाएगा। किसी भी व्यापार, वाणिज्य, या किसी अन्य समान गतिविधि के लिए व्यवसाय के रूप में अर्हता प्राप्त करना, आवृत्ति मात्रा, निरन्तरता या ऐसे लेन-देन की नियमितता पूर्व-आवश्यकता नहीं है।

‘व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ने के कुछ उदाहरण, इस प्रकार हैं—

**उदाहरण** ऋषभ अपने निजी इस्तेमाल के लिए एक कार खरीदता है और एक साल के बाद उसे कार डीलर को बेच देता है। ऋषभ द्वारा कार डीलर को कार की बिक्री CGST अधिनियम के तहत एक आपूर्ति नहीं है क्योंकि उक्त आपूर्ति ऋषभ द्वारा व्यवसाय<sup>7</sup> के दौरान या आगे की आपूर्ति नहीं की जाती है।

**उदाहरण** मणिकर्णिका ने अपनी पुरानी सोने की चूड़ियाँ और झुमके आभूषण ज्वैलर्स को बेच दिए। किसी व्यक्ति द्वारा जौहरी को पुराने सोने के आभूषणों की बिक्री से आपूर्ति का गठन नहीं होगा क्योंकि किसी व्यक्ति<sup>8</sup> के व्यवसाय के पाठ्यक्रम या आगे होने के बारे में नहीं कहा जा सकता है।

उपर्युक्त दो उदाहरणों में लिया गया दृश्य विभागीय FAQ। प्रेस विज्ञप्ति में लिए गए दृश्य पर

<sup>7</sup> Clarified vide GST FAQs issued by CBIC

<sup>8</sup> Clarified by CBIC vide press release dated 13.07.2017

आधारित है। हालांकि जैसा कि पहले ही देखा गया है, व्यापार में व्यापार, वाणिज्य या कोई अन्य समान गतिविधि शामिल है, चाहे इस तरह के लेन-देन की आवृत्ति मात्रा निरन्तरता या नियमितता हो या न हो।

इसके मद्देनजर उपर्युक्त उदाहरणों में यह भी संभव है कि ऋषभ द्वारा कार की बिक्री और मणिकर्णिका द्वारा पुराने सोने के आभूषणों की बिक्री व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाई गई हो और इस तरह से आपूर्ति होगी।

चूंकि व्यवसाय में व्यवसाय शामिल है, इसलिए वोकेशन के रूप में वस्तुओं या सेवा की बिक्री भी जीएसटी के तहत एक आपूर्ति है।



सुंदरम आचार्य, एक प्रसिद्ध अभिनेता कुछ चित्रों को पेंट करते हैं और उन्हें बेचते हैं। ऐसी बिक्री से विचार एक चैरिटेबल ट्रस्ट 'काइण्ड ह्यूमन' को दान किया जाना है। अभिनेता द्वारा चित्रों की बिक्री आपूर्ति के रूप में योग्य है।

क्लब/एसोसिएशन द्वारा अपने सदस्यों को प्रतिफल के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएँ एक आपूर्ति है।



एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कुछ मामूली शुल्क के बदले में निवासियों के बिजली के बिल जमा करने की सेवा प्रदान करता है। एक क्लब या एसोसिएशन या समाज द्वारा अपने सदस्यों को सेवा का प्रावधान आपूर्ति के रूप में माना जाता है क्योंकि यह व्यवसाय की परिभाषा में शामिल है।

एक प्रतिफल के लिए किसी भी परिसर में व्यक्तियों का प्रवेश भी व्यवसाय में शामिल है।



सर्कस, सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क सहित थीम पार्क, वॉटर पार्क, आदि में प्रवेश के माध्यम से सेवाओं को आपूर्ति माना जाता है क्योंकि ये किसी भी परिसर में किसी प्रतिफल के लिए व्यक्तियों के प्रवेश के रास्ते हैं।

व्यवसाय में रेस क्लब की गतिविधियाँ शामिल हैं, जिसमें योगमापी के माध्यम से या बुक निर्माता के लिए लाइसेंस या ऐसे क्लब में लाइसेंस प्राप्त पुस्तक निर्माता की गतिविधियाँ शामिल हैं।



रॉयल टर्फ रेस क्लब योगमापी<sup>9</sup> के माध्यम से रखे गए घोड़ों पर वैगिंग (सट्टेबाजी) लेन-देन को सुविधाजनक बनाने में लगी हुई है। रैगिंग लेन-देन को सुविधाजनक बनाने की सेवा प्रदान करने के लिए रॉयल टर्फ रेस क्लब को कमीशन प्राप्त होता है जिसे क्लब द्वारा कुल शर्त मूल्य से घटाया और बरकरार रखा जाता है। कहा कि एक रेस क्लब की गतिविधियों को व्यापार में शामिल करने के लिए सेवाओं की आपूर्ति की जाती है।

<sup>9</sup> Totalisator is a computerised device that pools the wagers/bets (after deduction of charges and statutory taxes) of various punters [person who places the bet] and also divides the total wager amount to be distributed to the winning punters.



उपर्युक्त चर्चा से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि कोई गतिविधि या लेन-देन उपर्युक्त सभी मापदंडों को पूरा करता है जैसा कि ऊपर दिए गए बिन्दुओं ए, बी और सी में चर्चा की गई है, तो गतिविधि या लेन-देन जीएसटी के तहत आपूर्ति के रूप में योग्य है।

### आपूर्ति जीएसटी के योग्य है

(Supply Leviable to GST)

एक बार जब कोई गतिविधि या लेन-देन आपूर्ति के रूप में योग्य हो जाता है, तो एक को यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या जीएसटी के लिए वही देय है या नहीं। यद्यपि अध्याय 3 में जीएसटी के लेवी और संग्रह से सम्बन्धित प्रावधानों की लम्बाई पर चर्चा की गई है। जीएसटी का प्रभार, उसी का एक संक्षिप्त विचार यहाँ प्रदान किया गया है। जीएसटी को आकर्षित करने के लिए आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से दो अतिरिक्त स्थितियों को संतुष्ट करने की आवश्यकता है। ये हैं—(i) आपूर्ति कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए और (ii) आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति होनी चाहिए। इन दो अतिरिक्त स्थितियों की यहाँ चर्चा की गई है।

#### (i) एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा पूर्ति (Supply by a Taxable Person)

**GST के अधीन कर योग्य होने के लिए पूर्ति कर योग्य व्यक्ति द्वारा होनी चाहिये।**

अतः दो गैर कर योग्य व्यक्तियों के मध्य पूर्ति GST के अधीन कर योग्य पूर्ति नहीं है।



कर योग्य व्यक्ति होने की शर्त केवल पूर्तिकर्ता पर लागू है, जबकि प्राप्तकर्ता कर योग्य या गैर कर योग्य हो सकता है। साथ ही, यह शर्त भी नहीं है कि पूर्ति किसी अन्य व्यक्ति को ही की जाय जैसे-स्वयं को की गयी पूर्तियाँ भी कर योग्य हैं।

**कर योग्य व्यक्ति का आशय (Meaning of taxable person) :** कर योग्य व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन पंजीकृत है अथवा पंजीकृत होने के लिये दायी है। (उपर्युक्त धाराएँ और कर योग्य व्यक्ति की अवधारणा को अध्याय 7 पंजीयन में विस्तार से विवेचित किया गया है।)

अतः कोई अपंजीकृत व्यक्ति जो पंजीयन के लिए दायी है, वह कर योग्य व्यक्ति है। इसी प्रकार पंजीयन के लिये दायी नहीं व्यक्ति, परन्तु जिसने ऐच्छिक पंजीयन लिया हुआ है और स्वयं को पंजीकृत करा रखा है, वह भी कर योग्य व्यक्ति है।


**(ii) करयोग्य पूर्ति (Taxable Supply)**

जी. एस. टी. के अधीन कर योग्य पूर्ति होने के लिए 'पूर्ति' कर योग्य होनी चाहिए। कर योग्य पूर्ति का सामान्य आशय माल/सेवाओं की ऐसी पूर्ति से है जो GST विधान के अधीन कर योग्य है [अध्याय-3 : GST के चार्ज-में विस्तार से विवेचित किया गया है] निर्दिष्ट माल/सेवाओं अथवा पूर्ति करने वाले व्यक्तियों/निकायों की विशिष्ट श्रेणी को विमुक्ति प्रदान की गयी है [अध्याय 4 : GST से विमुक्तियाँ-में इसे विस्तार से विवेचित किया गया है।]

बाद के पैरा में, हमने आपूर्ति के मापदंडों के अपवादों पर चर्चा की है अर्थात् आपूर्ति प्रतिफल के लिए की गई है, लेकिन निश्चित रूप से व्यवसाय या आपूर्ति के बिना नहीं हुई है।

**प्रतिफल के लिये सेवाओं का आयात भले ही व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में हो या नहीं** [Importation of services for consideration whether or not in course or furtherance of business]


शब्द 'पूर्ति' का अर्थ महत्वपूर्ण रूप से विस्तृत हो गया है, यद्यपि धारा 7 का दूसरा भाग अर्थात् 7(1)(b) जो पूर्ति के क्षेत्र के अन्दर लाती है, प्रतिफल के लिये सेवाओं का आयात चाहे व्यवसाय के दौरान या उसके अभ्युदय में हो या नहीं हो। पूर्ति के व्यवसाय के दौरान या उसके अभ्युदय में होने की शर्त का यह अकेला अपवाद है।



में **उदाहरण** रमैय्या, एकल स्वामी ने, न्यूयार्क में स्थित वास्तुकार से अपने मकान के सम्बन्ध वास्तुकारी सेवाएँ प्राप्त की हैं। जिसका सहमत प्रतिफल \$ 5000 है। रमैय्या द्वारा सेवाओं का आयात धारा 7(1)(b) के अधीन पूर्ति है भले ही व्यवसाय के दौरान या उसके अभ्युदय में नहीं है।

**बिना प्रतिफल के गतिविधियाँ-अनुमानित पूर्ति** [Activities without consideration - Deemed Supply]

इसमें कर योग्य व्यक्ति द्वारा की गयी सभी पूर्तियाँ शामिल हैं भले ही ये बिना प्रतिफल के हो। इन्हें CGST ACT में दी गयी प्रथम अनुसूची में वर्णित किया गया है। इन्हें आगामी अनुच्छेदों में विस्तार से विवेचित किया गया है :



पिछली व्यवस्था में, प्रत्येक कर विधान में, करारोपण के लिये, प्रतिफल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। उदाहरणार्थ-यदि कोई सेवा किसी व्यक्ति को निशुल्क प्रदान की है, ऐसी सेवा कर योग्य नहीं थी। तथापि, GST के अधीन, कुछ मामलों में प्रतिफल के महत्व को कम कर दिया गया है-पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से यह एक महत्वपूर्ण भिन्नता है।

प्रथम अनुसूची के अनुसार, अग्रांकित चार मामलों में, बिना प्रतिफल के की गयी पूर्ति को CGST ACT की धारा 7 के अधीन पूर्ति समझा जायेगा :

- I. **व्यावसायिक सम्पत्तियों का स्थायी अंतरण/निस्तारण (अनुसूची-I का अनुच्छेद-1) :** किसी निकाय द्वारा स्थायी रूप से व्यावसायिक सम्पत्तियों का अन्तरण या किसी रूप में निस्तारण भले ही बिना प्रतिफल के हो, पूर्ति कहा जायेगा। यह वाक्य बहुत विस्तृत है जिसमें धारक कम्पनी से, बिना प्रतिफल के सहायक कम्पनी को व्यावसायिक सम्पत्तियों का अन्तरण पूर्ति माना जाता है।

तथापि, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यह प्रावधान केवल वहीं लागू होगा जहाँ ऐसी सम्पत्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है।

इसलिए इस पैरा के तहत आपूर्ति के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा—

- व्यावसायिक सम्पत्ति का निपटान या हस्तान्तरण होना चाहिए।\*
- स्थानान्तरण/निपटान स्थायी होना चाहिए।
- ऐसी व्यावसायिक सम्पत्तियों पर आईटीसी का लाभ उठाया जाना चाहिए।

उपर्युक्त अन्तिम शर्त के मद्देनजर बिना किसी विचार के, निम्नलिखित व्यापारिक सम्पत्तियों का स्थायी हस्तान्तरण/निपटान इस पैरा में शामिल नहीं किया जाएगा और इस प्रकार आपूर्ति नहीं मानी जाएगी।

- (i) व्यावसायिक सम्पत्तियाँ जिन पर आईटीसी अवरुद्ध है। जीएसटी<sup>10</sup> के तहत उपलब्ध नहीं है।
- (ii) व्यावसायिक सम्पत्ति हालांकि ITC के लिए योग्य है, ITC को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा लाभ नहीं उठाया गया है।

\* यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक सम्पत्ति शब्द को जीएसटी कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है।



ध्रुव अपने व्यवसाय में इस्तेमाल किए जा रहे पुराने लैपटॉप अपने दोस्त को मुफ्त में देता है। यह अर्हता प्राप्त करेगा क्योंकि ध्रुव ने ऐसे लैपटॉप पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रदान किया है।



एयर-कंडीशनर का एक डीलर स्थायी रूप से मोटर वाहन को मुफ्त में स्थानान्तरित करता है। उस मोटर वाहन पर आईटीसी अवरुद्ध है। लेन-देन एक आपूर्ति का गठन नहीं करेगा क्योंकि हस्तान्तरित व्यावसायिक सम्पत्ति पर आईसीटी के लाभ की शर्त पूरी नहीं होती है।

यह खंड व्यापक रूप से व्यावसायिक परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण से लेकर बिना प्रतिफल के लिए अनुषंगी कंपनी तक को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

<sup>10</sup> माल की सूची जिसके संबंध में आईटीसी अवरुद्ध है वह अध्याय 6-इनपुट टैक्स क्रेडिट में विस्तृत की गई है।

- II. सम्बन्धित व्यक्तियों या भिन्न व्यक्तियों के मध्य पूर्ति (अनुसूची-I का अनुच्छेद-2) : यदि माल या सेवा या दोनों की पूर्ति धारा 25 में निर्दिष्ट भिन्न व्यक्तियों या सम्बन्धित व्यक्तियों के मध्य हुई है, उसे पूर्ति समझा जायेगा बशर्ते यह व्यवसाय के दौरान या उसके अभ्युदय में की गयी हो।

आइये हम 'सम्बन्धित व्यक्ति' तथा भिन्न 'व्यक्ति' की परिभाषा समझें।

**सम्बन्धित व्यक्ति** : एक व्यक्ति, जो अन्य व्यक्ति के प्रभाव के अंतर्गत होता है सम्बन्धित व्यक्ति कहलाता है, जैसे एक ही परिवार के सदस्य [उपयुक्त परिभाषाओं के अंतर्गत परिवार की परिभाषा देखें] या समूह कम्पनी की सहायक कम्पनियाँ इत्यादि। GST नियम, के अंतर्गत सम्बन्धित व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियाँ निर्दिष्ट की गई हैं। 'सम्बन्धित व्यक्ति' की परिभाषा धारा 15 के स्पष्टीकरण में परिभाषित की गई है। कथित परिभाषा निम्न चित्र के माध्यम से वर्णित की गई है :



व्यक्तियों में शामिल वैधानिक व्यक्तियों को सम्बन्धित व्यक्ति माना जाएगा यदि :

यदि ऐसे व्यक्ति एक-दूसरे के व्यवसाय में अधिकारी या संचालक हैं।

ऐसे व्यक्ति वैधानिक मान्य साझेदार हैं।

ऐसे व्यक्ति नियोक्ता और कर्मचारी हैं।

तृतीय पक्षकार दोनों की अंशपूजी या मताधिकार के > 25% भाग का (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामी / धारक / नियंत्रक है।

उनमें से कोई एक-दूसरे को (प्रत्यक्षतः/अप्रत्यक्षतः) नियंत्रित करती है।

कोई तृतीय पक्षकार दोनों को (प्रत्यक्षतः/अप्रत्यक्षतः) नियंत्रित करता है।

ऐसे व्यक्ति मिलकर (प्रत्यक्षतः/अप्रत्यक्षतः) किसी तृतीय व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं।

ऐसे व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य हैं।

उनमें से कोई एक-दूसरे का एकमात्र एजेन्ट/एकमात्र वितरक/एक मात्र अनुयायी है।



उदाहरण

(i) मिस प्रिया ABC लिमिटेड के 30% अंशों की धारक है। और XYZ लिमिटेड के 35% अंशों की। ABC लिमिटेड एवं XYZ लिमिटेड सम्बन्धित हैं।

(ii) Q लिमिटेड की R लिमिटेड की कम्पनी नीति, संचालन प्रबंधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण में निर्णायक भूमिका है। यह कहा जा सकता है कि Q लिमिटेड R लिमिटेड को नियंत्रित करती है। इसलिए, Q लिमिटेड एवं R लिमिटेड सम्बन्धित हैं।

**धारा 25 के तहत निर्दिष्ट विशिष्ट व्यक्ति :** इससे पहले कि हम अलग-अलग व्यक्तियों के वैधानिक प्रावधानों से गुजरें, पहले हमें अलग-अलग व्यक्तियों की अवधारणा की बेहतर समझ के लिए पंजीकरण प्रावधानों का अवलोकन करें। पंजीकरण प्रावधानों का विस्तृत और गहन विश्लेषण अध्याय 7- पंजीकरण में निहित है।

जीएसटी कानून के तहत, राज्य-वार पंजीकरण प्राप्त करने के लिए एक आपूर्तिकर्ता की आवश्यकता होती है। उसे प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में पंजीकरण प्राप्त करना होगा जहाँ से वह कर योग्य आपूर्ति करता है बशर्ते उसका कुल कारोबार एक निर्धारित सीमा से अधिक हो। इस प्रकार, उसे किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है जहाँ से वह एक गैर-कर योग्य आपूर्ति करता है।

चूंकि जीएसटी में पंजीकरण पैन आधारित है, एक बार जब एक आपूर्तिकर्ता पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसे उसी पैन के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण कराना होता है, जिसमें वह [कर योग्य आपूर्ति करता है] करता है। इसके अलावा उसे सामान्य रूप से राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में एकल पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, जहाँ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में उनके व्यवसाय के कई स्थान हैं, उनके पास यह विकल्प है कि वे उक्त राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक ही पंजीकरण करवाएं या ऐसे राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में व्यापार के प्रत्येक स्थान के लिए अलग पंजीकरण प्राप्त करें।

सरल शब्दों में, विभिन्न व्यक्तियों की अवधारणा को निम्नानुसार समझा जा सकता है—

अलग-अलग पंजीकरण वाले व्यक्ति की स्थापना चाहे वह एक ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर हो या अलग-अलग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अलग-अलग व्यक्ति माने जाते हैं। जहाँ एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक पंजीकृत प्रतिष्ठान वाले व्यक्ति की एक अलग राज्य। संघ राज्य क्षेत्र में दूसरी स्थापना होती है [जरूरी नहीं कि पंजीकृत] इन प्रतिष्ठानों को अलग-अलग व्यक्तियों के प्रतिष्ठान के रूप में माना जाता है।

**धारा 25 के अंतर्गत निर्दिष्ट भिन्न व्यक्ति** धारा 25 की उप-धाराएँ (4) एवं (5) में 'भिन्न व्यक्तियों' से सम्बन्धित प्रावधान शामिल हैं।

एक व्यक्ति, जिसने एक से अधिक पंजीयन करा रखे हैं। या कराना आवश्यक है, चाहे एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में या एक से अधिक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में उसे ऐसे प्रत्येक पंजीयन के संदर्भ में भिन्न व्यक्ति माना जाएगा [CGST Act की धारा 25(4)]।

**उदाहरण** मोहन, एक चार्टर्ड एकाउण्टेंट, उसका पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है। उसने पश्चिम बंगाल में खोली नवीन शाखा के सम्बन्ध में, एक पंजीयन वहाँ भी प्राप्त कर रखा है। मोहन को दिल्ली और पश्चिम बंगाल के पंजीयन के संदर्भ में भिन्न व्यक्ति माना जाएगा। व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में, दिल्ली कार्यालय एवं पश्चिम बंगाल कार्यालय के मध्य प्रतिफल रहित पूर्ति भी पूर्ति मानी जाएगी।



साथ ही, जब एक व्यक्ति ने एक प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीयन प्राप्त किया है या किया जाना अपेक्षित है, उसका अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भी एक प्रतिष्ठान है, तो ये प्रतिष्ठान भिन्न व्यक्तियों के प्रतिष्ठान—माने जाएंगे (CGST Act की धारा 25(5))।

**उदाहरण** रिषभ एन्टरप्राइजेज एक पंजीकृत विक्रेता का विरार, महाराष्ट्र में एक वातानुकूलित रेस्टॉरेन्ट है। उसने रायपुर, उत्तराखण्ड में मानवीय उपभोग हेतु मादक पेय के व्यापार हेतु एक शराब की दुकान खोली। क्योंकि उत्तराखण्ड में मानवीय उपभोग हेतु मादक पेय की पूर्ति एक गैर-करयोग्य पूर्ति है, रिषभ एन्टरप्राइजेज को इसके संदर्भ में उत्तराखण्ड में पंजीयन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। इस स्थिति में, महाराष्ट्र में वातानुकूलित रेस्टॉरेन्ट तथा उत्तराखण्ड में शराब की दुकान (यद्यपि अपंजीकृत है) भिन्न व्यक्तियों के प्रतिष्ठान माने जाएंगे। व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में महाराष्ट्र कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड कार्यालय को प्रतिफल रहित पूर्ति भी पूर्ति मानी जाएगी।



(ii) रहतिया अंतरण या शाखा अंतरण पूर्ति माने जाते हैं (Stock transfers or branch transfers quality as supply) : उपर्युक्त विवेचन के सन्दर्भ में विभिन्न स्थानों के मध्य लेन-देन [पृथक् GST पंजीयन के साथ] जो समान वैधानिक निकायों के मध्य हैं (जैसे-रहतिया अन्तरण या शाखा अन्तरण) जिसको GST के अधीन "पूर्ति समझा जायेगा, पूर्ववती व्यवस्था में ऐसा नहीं था।

**उदाहरण** रघुबीर फैब्रिक्स ने लखनऊ स्थित अपने कार्यालय से 1000 शर्टें दिल्ली स्थित शोरूम को भेजीं जिससे कि उन्हें वहाँ से बेचा जा सके। फैक्टरी और शोरूम दोनों उन राज्यों में पंजीकृत हैं जहां वे स्थित हैं। यद्यपि फैक्टरी से शोरूम अन्तरण की स्थिति में कोई प्रतिफल वसूल नहीं किया गया है, फैक्टरी से शोरूम को माल का अंतरण पूर्ति माना जाएगा।



हालांकि, एकल पंजीकरण (जाहिर तौर पर एक ही राज्य में) के तहत कानूनी इकाई की दो इकाइयों के बीच स्थानान्तरण को आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। इसे अग्रलिखित उदाहरण की मदद से समझा जा सकता है—



रघुवीर फैब्रिक्स लखनऊ में स्थित अपने कारखाने से 1,000 शर्ट्स को कानपुर में अपने रिटेल शोरूम में स्थानान्तरित करता है ताकि वहाँ वही बेचा जा सके। इसने उत्तर प्रदेश राज्य में एक पंजीकरण लिया है, जो लखनऊ कारखाने को व्यवसाय का प्रमुख स्थान और कानपुर शोरूम को अपने व्यापार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित करता है। चूंकि कोई विचार नहीं किया जाता है, इसलिए एक ही पंजीकरण के तहत एक ही राज्य में कारखाने से शोरूम तक माल की आपूर्ति का गठन नहीं करती है।



हालांकि उपर्युक्त उदाहरण में, अगर रघुवीर फैब्रिक्स लखनऊ कारखाने और कानपुर शोरूम के लिए अलग-अलग पंजीकरण प्राप्त करते हैं, तो लखनऊ कारखाने और कानपुर शोरूम के बीच स्टॉक हस्तान्तरण आपूर्ति का गठन करेगा।

**नियोक्ता एवं कर्मचारी के मध्य माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति (Supply of goods or services or both between an employer and employee) :** उपर्युक्त वर्णित सम्बन्धित व्यक्तियों की परिभाषा के अनुसार, नियोक्ता और कर्मचारी सम्बन्धित व्यक्ति हैं। तथापि किसी कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को रोजगार के दौरान या सम्बन्ध में प्रदत्त सेवाओं को सेवाओं की पूर्ति नहीं समझा जाता है [तृतीय अनुसूची (GST Act)] (इस अध्याय के बाद में चर्चा होगी)

### नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपहार

(Gifts by employer to employee)

साथ ही, प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 2 में प्रावधान है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक वित्त वर्ष में ₹ 50,000 मूल्य तक का उपहार, माल/सेवाओं की पूर्ति नहीं माना जायेगा, तथापि ₹ 50,000 से अधिक मूल्य का उपहार, यदि बिना प्रतिफल के दिया जाता है, GST के अधीन कर योग्य होगा यदि व्यवसाय के दौरान या उसके अभ्युदय में दिया गया है।



उपहार शब्द को GST विधान में परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्य अर्थों में बिना प्रतिफल के दिया गया उपहार, ऐच्छिक प्रकृति का होता है और कभी-कभी दिया जाता है। अधिकार स्वरूप इसकी मांग नहीं की जा सकती है और कर्मचारी उपहार के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं।



### नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया अनुलाम (Perquisites by employer to employee)

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कर्मचारी के द्वारा नियोक्ता को सेवाएं रोजगार के दौरान या रोजगार के सम्बन्ध में GST के क्षेत्र से बाहर हैं (न तो माल की पूर्ति और न सेवाओं की पूर्ति)

इससे यह अर्थ निकलता है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किया गया भुगतान, नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य समझौते की शर्तों के अधीन होता है, GST के अधीन नहीं होगा।

यदि नियोक्ता द्वारा सभी कर्मचारियों को एक क्लब की सदस्यता, स्वास्थ्य और फिटनेस सेंटर आदि जैसी सेवाएं मुफ्त में प्रदान की जाती हैं, तो उसको GST के अधीन नहीं किया जाएगा।

कर्मचारियों को निःशुल्क आवास के सम्बन्ध में भी यह सही है, जब इन्हें नियोक्ता और कर्मचारियों के मध्य अनुबन्ध के अधीन प्रदान किया गया है और कम्पनी अनुबन्ध के अधीन प्रदान किया गया है और कम्पनी के लिये लागत (C2C)<sup>11</sup> के भाग का अंग है।

<sup>11</sup> जैसा कि वित्त मंत्रालय द्वारा 10.7.2017 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति से स्पष्ट है।

**III. प्रधान-अभिकर्ता [अनुसूची का अनुच्छेद-3] :** प्रधान द्वारा अपने अभिकर्ता को माल की पूर्ति बिना प्रतिफल, यदि अभिकर्ता ऐसे माल की पूर्ति प्रधान की ओर से करता है, पूर्ति समझी जाती है।

समान प्रकार से अभिकर्ता-द्वारा अपने प्रधान को बिना प्रतिफल माल की पूर्ति, यदि अभिकर्ता प्रधान की ओर से माल प्राप्त करने की जिम्मेदारी लेता है, पूर्ति मानी जाती है।



इस सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य तत्व निम्नांकित हैं :

- केवल माल की पूर्ति के सम्बन्ध में लागू है न कि सेवाओं की पूर्ति हेतु।
- अभिकर्ता और प्रधान के मध्य बिना प्रतिफल के माल की पूर्ति भी पूर्ति होती है।

इसलिए प्रधान एवं अभिकर्ता के मध्य सेवाओं की पूर्ति तथा विलोमत : पूर्ति के रूप में लाने जाने हेतु प्रतिफल की आवश्यकता होती है और इसलिए GST के लिए दायी होगा।

यह निर्धारित करने हेतु कि क्या एक प्रधान-अभिकर्ता सम्बन्ध उपर्युक्त चर्चित अनुसूची I के अनुच्छेद 3 के क्षेत्र के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, निर्णायक तत्व यह है कि क्या प्रधान की ओर से माल की अतिरिक्त पूर्ति हेतु बीजक अभिकर्ता द्वारा निर्गमित किया गया है अथवा नहीं अन्य शब्दों में, अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या अभिकर्ता के पास प्रधान की ओर से माल का स्वामित्व प्राप्त या अंतरित करने का अधिकार है अथवा नहीं।



- ❑ जहाँ अतिरिक्त पूर्ति हेतु बीजक अभिकर्ता द्वारा अपने नाम में निर्गमित किया गया हो, तो प्रधान से अभिकर्ता को माल कोई प्रावधान उपर्युक्त अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा।
- ❑ हालांकि, उन स्थितियों में जहाँ अभिकर्ता द्वारा ग्राहक को बीजक प्रधान के नाम में निर्गमित किया गया हो, तो ऐसा अभिकर्ता उपर्युक्त अनुच्छेद 3 के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आएगा।
- ❑ समान प्रकार से, जहाँ माल को प्रधान की ओर से अभिकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया हो, अभिकर्ता के नाम में बीजित होते हैं तब अभिकर्ता द्वारा प्रधान को कथित माल का अतिरिक्त प्रावधान उपर्युक्त अनुच्छेद 3 द्वारा आच्छादित होगा (परिपत्र संख्या 57/31/2018 GST तिथि 04.9.2018)।



उपर्युक्त स्पष्टीकरण निम्न परिदृश्य आधारित उदाहरणों की सहायता से समझे जा सकते हैं :



अनमोल ने बाजार से विशिष्ट माल प्राप्त करने के लिए भोलू को नियुक्त किया। भोलू विभिन्न पूर्तिकर्ताओं को चिन्हित करता है, जो अनमोल द्वारा वांछित माल प्रदान कर सके और पूर्तिकर्ता गोलू को माल प्रेषित करने के

लिए कहते हैं तथा बीजक प्रत्यक्ष रूप से अनमोल को निर्गमित कराते हैं।

इस स्थिति में, भोलू सिर्फ माल प्राप्त करने वाले अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, तथा माल की प्राप्ति एवं पूर्ति में उनका स्वयं का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भोलू अनुसूची I के अनुच्छेद 3 के अनुसार माल की पूर्ति हेतु अनमोल के अभिकर्ता नहीं हैं।



मैसर्स टिनटिन, एक बैंकिंग कम्पनी कुछ माल की नीलामी के लिए मंदार (नीलामीकर्ता) की नियुक्ति करती हैं। नीलामीकर्ता नीलामी हेतु व्यवस्था करता है तथा संभावित बोली लगाने वालों को चिन्हित करता है।

उच्चतम बोली स्वीकार की जाती है तथा माल मैसर्स टिनटिन द्वारा उच्चतम बोली लगाने वाले को विक्रय किया जाता है। माल की पूर्ति हेतु बीजक मैसर्स टिनटिन द्वारा सफल बोली लगाने वाले को निर्गमित किया गया। इस स्थिति में, नीलामीकर्ता ने माल की पूर्ति में कोई भूमिका न निभाते हुए सिर्फ नीलामी सेवाओं को प्रदान किया। यहाँ तक कि इस स्थिति में मंदार अनुसूची I के अनुच्छेद 3 के अनुसार माल की पूर्ति हेतु मैसर्स टिनटिन के अभिकर्ता भी नहीं हैं।



गौतम एक चित्रकार अपनी चित्रकलाओं की नीलामी हेतु गंभीर (नीलामीकर्ता) की नियुक्ति करते हैं। गंभीर नीलामी की व्यवस्था करते हैं तथा संभावित बोली लगाने वालों को चिन्हित करते हैं। उच्चतम बोली स्वीकार की जाती है तथा चित्रकला उच्चतम बोली लगाने वाले को विक्रय कर दी जाती है। चित्रकला की पूर्ति हेतु बीजक गंभीर द्वारा गौतम की ओर से निर्गमित किया गया लेकिन उसके स्वयं के नाम में तथा चित्रकला सफल बोली लगाने वाले को दे दी जाती है।

इस स्थिति में, गंभीर न सिर्फ नीलामी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं अपितु बोली लगाने वाले को गौतम की ओर से चित्रकला की पूर्ति भी कर रहे हैं तथा उनके पास गौतम की ओर से चित्रकला का स्वामित्व अंतरित करने का अधिकार है। यह स्थिति अनुसूची I के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आती है।



एक C&F अभिकर्ता या कमीशन अभिकर्ता प्रधान से माल का आधिपत्य प्राप्त करता है तथा अपने स्वयं के नाम में बीजक निर्गमित करता है। ऐसी स्थितियों में, C&F कमीशन अभिकर्ता अनुसूची I के अनुच्छेद 3 के अनुसार माल की पूर्ति हेतु प्रधान का अभिकर्ता है। इस प्रकार की स्थितियों में प्रधान के नाम का प्रस्तुतीकरण या गैर प्रस्तुतीकरण महत्वहीन है।



रवि, कवि की सेवाओं का प्रयोग करके कृषि उपज का विक्रय करता है, जो कि राज्य के कृषि उपज विपणन समिति, अधिनियम (APMC अधिनियम) के अनुसार एक कमीशन अभिकर्ता है। कवि क्रेताओं को चिन्हित करता है तथा रवि की ओर से कृषि उपज का विक्रय करता है, जिसके लिए वह रवि से कमीशन लेता है। APMC अधिनियम के अनुसार, कमीशन अभिकर्ता वह व्यक्ति है, जो अपने प्रधान की ओर से कृषि उपज का क्रय या विक्रय करता है, या अपने प्रधान की ओर से कृषि उपज

को विक्रय करने या क्रय करने की सुविधा प्रदान करता है तथा इस लेन-देन में शामिल राशि पर कमीशन या प्रतिशत, पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करता है।

ऐसी स्थितियों में, जहाँ बीजक कवि द्वारा क्रेता को निर्गमित किया गया हो, तो वह व्यक्ति अनुसूची 1<sup>12</sup> के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अभिकर्ता होता है। हालांकि, ऐसी स्थितियों में, जहाँ बीजक रवि द्वारा प्रत्यक्षतः क्रेता को निर्गमित किया गया हो, तो कमीशन अभिकर्ता कवि अनुसूची I के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आने वाले अभिकर्ता की श्रेणी में नहीं आता।

### प्रत्यायक एजेंट (DCA) से संबंधित मुद्दों का स्पष्टीकरण

(Clarification of Issues Pertaining to Del-Credere Agent (DCA))

आइए सबसे पहले समझते हैं कि DCA का क्या मतलब है ? वाणिज्यिक व्यापार के मामले में, एक DCA एक विक्रय एजेंट है जो प्रिंसिपल की ओर से संभावित खरीदारों से संपर्क करके वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में सहायता करने के लिए एक प्रिंसिपल द्वारा लगा हुआ है। वह कारक जो अन्य एजेंटों से DCA को अलग करता है, वह यह है कि DCA आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गारंटी देता है।



ऐसे परिदृश्यों में जहां खरीदार निर्धारित तिथि तक मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है, DCA खरीदार की ओर से मूलधन को भुगतान करता है (प्रभावी रूप से खरीदार द्वारा डिफॉल्ट रूप से बीमा प्रदान करता है), और इस कारण से आयोग का भुगतान किया जाता है। DCA एक सामान्य एजेंट को भुगतान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है।



आपूर्तिकर्ता को समय पर भुगतान की गारंटी देने के लिए, डीसीए खरीदार को अल्पकालिक लेन-देन आधारित ऋण देने या आपूर्तिकर्ता को खुद भुगतान करने और बाद की तारीख में कुछ ब्याज के साथ खरीदार से राशि वसूल करने सहित विभिन्न तरीकों का सहारा ले सकता है। इस ऋण को डीसीए और खरीदार के बीच पारस्परिक रूप से सहमत दर पर डीसीए को ब्याज के साथ खरीदार द्वारा चुकाया जाता है।

परिपत्र संख्या 73/47/2018 GST दिनांक 05.11.2018 ने इस संबंध में निम्नलिखित मुद्दों को स्पष्ट किया है—

| क्रम संख्या | मुद्दे   | स्पष्टीकरण   |
|-------------|--|--|
| 1           | क्या CGST अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 3 के तहत एक डीसीए एजेंट के दायरे में आता है ? | जैसा कि पहले से ही स्पष्ट है कि परिपत्र संख्या 57/31/2018 GST (ऊपर चर्चा की गई है) DCA CGST अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 3 के तहत DCA एजेंट के दायरे में आएगा या नहीं निम्नलिखित संभावित परिदृश्यों पर निर्भर करता है; |

<sup>12</sup> यह ध्यान देना आवश्यक है कि कृषि उपज के क्रय या विक्रय हेतु कमीशन अभिकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से मुक्त रखा है।